

हर बच्चे का महत्व: गोद लेने की वकालत

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)

20 नवंबर, 2024

परिचय

प्रत्येक बच्चा प्यार भरा और सुरक्षित बचपन का हकदार है, लेकिन कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें एक स्थायी परिवार नहीं मिल पाता।

गोद लेने से इन बच्चों को प्रेमपूर्ण, सहयोगी परिवार में बड़े होने का अवसर मिलता है। यह उन्हें उन परिवारों से जोड़ देता है जो देखभाल और पोषण प्रदान कर सकते हैं। कानूनी स्वीकृति यह सुनिश्चित करती है। यह प्रक्रिया नैतिक, पारदर्शी है और हमेशा बच्चे के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देती है।

गोद लेने के महत्व को उजागर करने और गोद लेने वाले परिवारों की आवश्यकता बताने के लिए, दत्तक ग्रहण जागरूकता माह यह स्मरण दिलाता है कि कैसे कानूनी दत्तक ग्रहण जरूरतमंद बच्चों के लिए उज्ज्वल, और अधिक आशापूर्ण भविष्य का निर्माण करता है।



दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024

दत्तक ग्रहण जागरूकता माह प्रतिवर्ष नवंबर में मनाया जाता है। यह केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) और इसके हितधारकों के नेतृत्व में एक पहल है जो कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस माह देश भर में कानूनी रूप से गोद लेने के महत्व को बढ़ावा दिया जाता है।

दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 की थीम है, **"पालक देखभाल और पालक दत्तक ग्रहण के द्वारा बड़े बच्चों का पुनर्वास**, विशेषकर बड़े और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पालन पोषण के लिए घर ढूँढने पर केंद्रित है। इस अभियान के तहत महिला एवं बाल मंत्रालय भारत सरकार, 21 नवंबर 2024 को लखनऊ में इस दिवस का आयोजन कर रही है।

इस वर्ष के अभियान में देश के विभिन्न राज्यों में योजनाबद्ध ऑफ़लाइन और ऑनलाइन माध्यम से मिश्रित गतिविधियाँ शामिल हैं।

ये आयोजन होंगे फ़ीचर इंटरैक्टिव सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, और संभावित दत्तक माता-पिता (पीएपी), और दत्तक माता-पिता, और अन्य हितधारकों के साथ प्रश्नोत्तरी।

माइ गाँव इंडिया के साथ साझेदारी में, सीएआरए जनता को जोड़ने के लिए कहानी कहने, पोस्टर बनाने, नारे और सर्वेक्षण जैसी ऑनलाइन गतिविधियों का भी आयोजन कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम

से, कारा बहुमूल्य जानकारी साझा कर रहा है, जरूरतमंद बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में कानूनी गोद लेने और पालक देखभाल के महत्व पर जोर देता है।



कारा: दत्तक ग्रहण में बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हुए, भारत में नैतिक और कानूनी गोद लेने की प्रक्रियाओं की देखरेख करता है। भारतीय दत्तक ग्रहण के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में, कारा अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण, 1993, 2003 में भारत द्वारा अनुमोदित पर हेग कन्वेंशन का पालन करते हुए देश और अंतर-देशीय दोनों गोद लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित और निगरानी करता है। मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के साथ काम करते हुए, कारा अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद लेने की सुविधा प्रदान करता है।

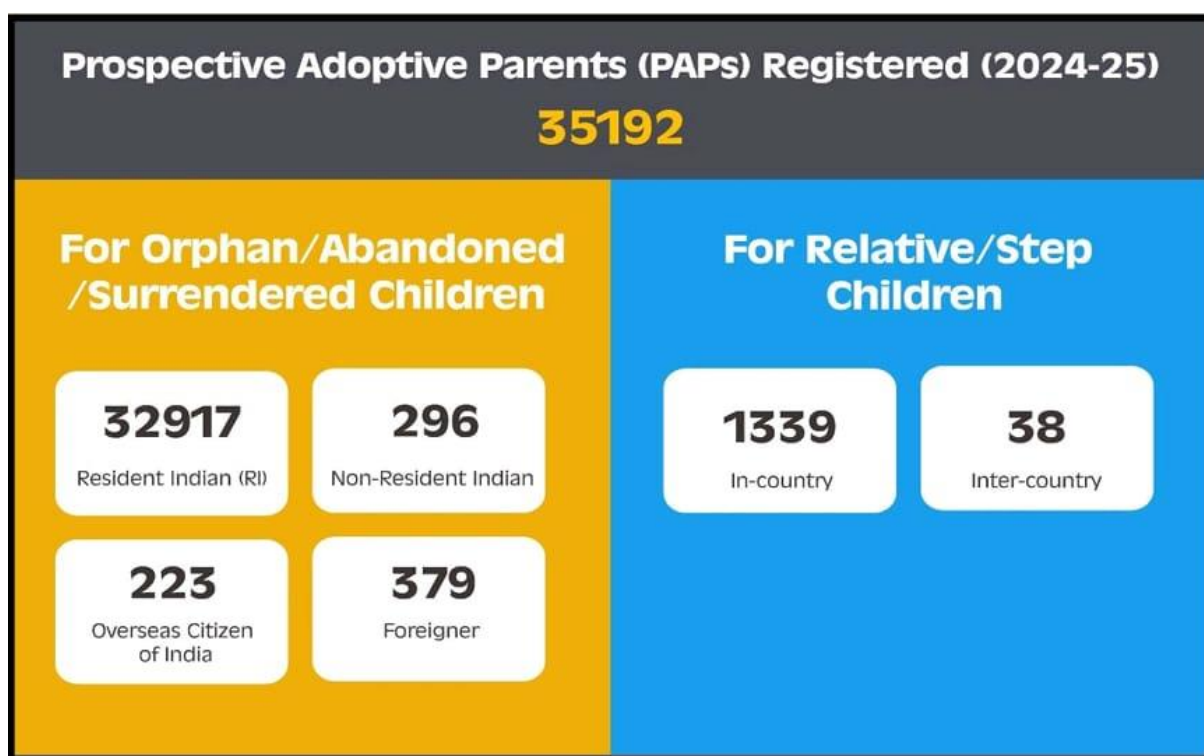
केयरिंग्स पोर्टल 3.2: गोद लेने से जीवन में बदलाव

गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, एक ई-गवर्नेंस पहल के रूप में कारा ने केयरिंग पोर्टल लॉन्च किया है जो सभी हितधारकों के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करते हुए गोद लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है।

द केयरिंग्स (चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम) पोर्टल फरवरी 2011 में लॉन्च किया गया था। यह हेग कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करते हुए गोद लेने के लिए एकमात्र मंच के रूप में कार्य करता है। यह 2015 से देश में और अंतर-देशीय गोद लेने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसका नवीनतम संस्करण (3.2), 10 नवंबर, 2022 से परिचालन में है, जो देश में सापेक्ष दत्तक ग्रहण और दत्तक ग्रहण के बाद के अनुवर्ती, पालन-देखभाल और पालक दत्तक ग्रहण पोर्टलों के लिए मॉड्यूल सहित दत्तक

ग्रहण विनियम 2022 के तहत नए प्रावधानों को शामिल करता है। पोर्टल संभावित दत्तक माता-पिता (पीएपी) के साथ कानूनी रूप से मुक्त बच्चों के डेटा को एकीकृत करता है, वरीयताओं के आधार पर स्वचालित मिलान को संभव करता है और प्रत्यक्ष बाल चयन के लिए विशेष आवश्यकताओं और तत्काल प्लेसमेंट टैब जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। पीएपी अपनी गोद लेने की बारी को ट्रैक कर सकते हैं, जबकि हितधारकों को एसएमएस/ईमेल अलर्ट प्राप्त होते हैं।

नई सुविधाओं में ऑनलाइन गोद लेने के आदेशों के लिए डीएम मॉड्यूल और आरआई/एनआरआई/ओसीआई पीएपी प्राथमिकता-आधारित रेफरल शामिल हैं।



एक बच्चे को बढ़ावा देने और गोद लेने की यात्रा

गोद लेने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं: पंजीकरण, गृह अध्ययन, एक बच्चे के साथ मिलान, कानूनी औपचारिकताएं और गोद लेने के

बाद की निगरानी। गोद लेने की प्रक्रिया को समझने से पहले, आइए पहले गोद लेने और पालक देखभाल को समझें। **दत्तक ग्रहण** एक कानूनी प्रक्रिया है जहां एक बच्चे को स्थायी रूप से दत्तक माता-पिता के साथ रखा जाता है, जो पूर्ण माता-पिता के अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेते हैं। यह जरूरतमंद बच्चों को एक स्थिर, प्यार भरा घर प्रदान करता है।

1. Procedure for Fostering a Child

A FOSTER CARE

- Self-registration by Prospective Foster Parents (PFPs) on the portal.
- Parent/ Child related documents to be uploaded by DCPU.
- All requisite documents in respect of the child and the PFP will be placed before CWC.
- The DCPU, where the child resides, will match the child with PFPs with the approval of the concerned CWC.
- Order of foster care placement by CWC, Form 32.
- Undertaking by the foster family: Form 33.
- DCPU to upload all the documents.

B FOSTER ADOPTION

- DCPU to recommend the proposal to SARA.
- SARA to recommend the proposal to CARA.
- CARA to issue pre-approval letter and revert the proposal back to SARA.
- SARA to forward the proposal to DCPU.
- DCPU to file an adoption application in the office of DM for procuring Adoption order.
- Issuance of Adoption Order.
- DCPU concerned to facilitate the issuance of birth certificate of child.
- Post-adoption follow-up report by concerned DCPU.



निष्कर्ष

दत्तक ग्रहण एक बदलाव भरी यात्रा है जो दत्तक माता-पिता के जीवन को समृद्ध करते हुए बच्चों को एक परिवार का प्यार और स्थिरता प्रदान करती है। दत्तक जागरूकता माह जैसी पहल गोद लेने की प्रक्रिया को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अधिक परिवारों को अपने दिल और दरवाजे खोलने के लिए प्रेरित करती है। जागरूकता और समझ को बढ़ावा देकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को एक पोषक वातावरण में बड़े होने का अवसर मिले, जिससे शामिल सभी लोगों के लिए उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हो।

एमजी/केसी/पीएस/डीके

